

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *232
उत्तर देने की तारीख: 22.12.2022
अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*232. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कक्षा एक से आठ में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री - मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ जताई गई व्यापक आपत्ति का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (घ) क्या सरकार का आठवीं कक्षा तक प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति बंद करने के निर्णय को वापस लेने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

- (क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति” के संबंध में श्री सय्यद ईमत्याज जलील और एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा पूछे गए एवं दिनांक 22.12.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *232 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों नामतः बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिख और पारसी के आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना लागू करता है। योजना के तहत कवरेज को 2022-23 से संशोधित किया गया है और केवल नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए लागू किया गया है क्योंकि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII) प्रदान करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित समान छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ योजना के सामंजस्य के लिए भी यह संशोधन किया गया है और इसलिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति को आठवीं कक्षा तक बंद करने के निर्णय को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
